

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 25 अगस्त 2018—भाद्र 3, शक 1940

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2018

क्रमांक: एफ 2-4-2018-छब्बीस-1-दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत म0प्र0 दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 11.07.2018 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में आयुष विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है :-

अनुसूची "एक"

(1) आयुष विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्तव, अपर सचिव.

अनुसूची "दो"

विभाग का का नाम:- आयुष विभाग
(शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल)

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	नि:शक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग(6 %)	(6)	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि वाले	बहरे और कम सुनने वाले	लोक मोटर डिसेबिलिटी लिटी	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लार्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी	(10)	योग (6+7+8+9+10)	रिमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
तृतीय श्रेणी	लेब टेक्नीशियन	15	15	1	-	1	-	-	-	-	1	दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित विकलांगता अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा में। हाथों की विकलांगता को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थि बाधित विकलांगता स्वीकार्य जिसकी अधिकतम सीमा 60 प्रतिशत स्वीकार्य है।
	म्युजियम कीपर	13	13	1	-	1	-	-	-	-	1	---
	स्टाफ नर्स	32	32	2	-	1	1	-	-	-	2	---
	फार्मासिस्ट	17	17	1	-	-	1	-	-	-	1	---
	पंचकर्म असिस्टेंट	19	19	1	-	1	-	-	-	-	1	---
	कम्प्यूटर ऑपरेटर सह असिस्टेंट	14	14	1	-	1	-	-	-	-	1	---
	लेब असिस्टेंट	15	15	1	-	-	1	-	-	-	1	---
	लेब अटेंडेंट	13	13	1	-	-	1	-	-	-	1	---
	अटेंडेंट	14	14	1	-	-	1	-	-	-	1	---
	ओ.पी.डी अटेंडेंट	11	11	1	-	-	1	-	-	-	1	---
चतुर्थ श्रेणी	मिडवाइफ, वाडवाय, आया.	20	20	1	1	-	-	-	-	-	1	---
	स्वच्छक	32	32	2	1	1	-	-	-	-	2	---

(शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा)

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	नि:शक्तजनो के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या						योग (6+7+8+9+10)	सिमांक
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोको मोटर डिसेबिलिटी	ऑटिज्म, दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी	(क 6,7,8 एवं 9 के तहत व्यक्तियों की बहुविकलांगता			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
तृतीय श्रेणी	स्टाफ नर्स	22	22	1	-	1	-	-	-	1	दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित विकलांगता अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा में। हाथों की विकलांगता को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थि बाधित विकलांगता स्वीकार्य जिसकी अधिकतम सीमा 60 प्रतिशत स्वीकार्य है।	
	कम्प्यूटर आपरेटर	14	14	1	-	-	1	-	-	1		
चतुर्थ श्रेणी	वार्डवाय / आया	18	18	1	1	-	-	-	-	1		
	अटेंडेंट	14	14	1	-	-	1	-	-	1		
	हेल्पर स्वच्छक	26	26	2	-	1	1	-	-	2		

(शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर)

श्रेणी	पद / संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निशक्तजनो के लिये चिन्हाकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हाकित पद / संवर्ग एवं संख्या						योग (6+7+8+9+10)	रिमांक
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोको मोटर डिसेबिलिटी	ऑटिज्म, दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी	(क 6,7,8 एवं 9 के तहत व्यक्तियों की बहुविकलांगता			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
तृतीय श्रेणी	स्टाफ नर्स	10	10	1	-	-	1	-	-	1		दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित विकलांगता अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा में। हाथों की विकलांगता को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थि बाधित विकलांगता स्वीकार्य जिसकी अधिकतम सीमा 60 प्रतिशत स्वीकार्य है।

(शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन)

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निशक्तजनो के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	(6)	बहरे और कम सुनने वाले	लोको मोटर डिसेबिलिटी	ऑटिज्म, दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी	(क 6.7.8 एवं 9 के तहत व्यक्तियों की बहुविकलांगता	योग (6+7+8+9+10)	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
वृत्तीय श्रेणी	सहायक वर्ग-3	11	11	1	-	1	-	-	-	1	दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित विकलांगता अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा में। हाथों की विकलांगता को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थि बाधित विकलांगता स्वीकार्य जिसकी अधिकतम सीमा 60 प्रतिशत स्वीकार्य है।
	लेब असिस्टेंट	11	11	1	-	-	1	-	-	1	
	लेब टेक्नीशियन	9	9	1	-	1	-	-	-	1	
	कम्प्यूटर आपरेटर सह असिस्टेंट	14	14	1	-	1	-	-	-	1	
चतुर्थ श्रेणी	स्टाफ नर्स	22	22	1	-	-	1	-	-	1	
	स्वच्छक	27	27	2	-	1	1	-	-	2	
	लेब अटेण्डेंट	10	10	1	-	-	1	-	-	1	
	बार्डवाय / मिडवाईफ / आया	10	10	1	-	-	1	-	-	1	
	अटेण्डेंट विभागों के लिये	14	14	1	-	1	-	-	-	1	

(शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय इन्दौर)

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनो के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या					योग (6+7+8+9+10)	रिमांक
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोक मोटर डिसेबिलिटी	ऑटिज्म, दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी	(क 6,7,8 एवं 9 के तहत व्यक्तियों की बहुविकलांगता		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
तृतीय श्रेणी	स्टाफ नर्स	13	13	1	-	-	1	-	-	1	दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित विकलांगता अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा में। हाथों की विकलांगता को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थि बाधित विकलांगता स्वीकार्य जिसकी अधिकतम सीमा 60 प्रतिशत स्वीकार्य है।

(शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर)

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निशक्तजनो के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या						योग (6+7+8+9+10)	सिर्माक
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोक मोटर डिसेबिलिटी	ऑटिज्म, बौद्धिक पिच्यंगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी	(क 6,7,8 एवं 9 के तहत व्यक्तियों की बहुविकलांगता			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
तृतीय श्रेणी	लेब टेक्नीशियन	10	10	1	-	-	1	-	-	1	दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित विकलांगता अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा में। हाथों की विकलांगता को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थि बाधित विकलांगता स्वीकार्य जिसकी अधिकतम सीमा 60 प्रतिशत स्वीकार्य है।	
चतुर्थ श्रेणी	स्टाफ नर्स	22	22	1	-	-	1	-	-	1		
	सहायक ग्रेड-3	9	9	1	-	1	-	-	-	1		
	कम्प्यूटर आपरेटर सह असिस्टेंट	14	14	1	-	1	-	-	-	1		
	लेब असिस्टेंट	12	12	1	-	-	1	-	-	1		
	आया/वार्डवाय / मिडवाइफ	15	15	1	-	-	1	-	-	1		
	लेब अटेंडेंट	14	14	1	-	1	-	-	-	1		
	स्वीपर	34	34	2	1	-	1	-	-	2		
	अटेंडेंट	14	14	1	-	1	-	-	-	1		

6 7

: (शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय बुरहानपुर)

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	नि:शक्तजनो के लिये चिन्हकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हकित पद/संवर्ग एवं संख्या						योग (6+7+8+9+10)	रिमांक
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोक मोटर डिसेबिलिटी	ऑटिज्म, दिव्यांगता, स्पेसिफिक डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी	(क 6.7.8 एवं 9 के तहत व्यक्तियों की बहुविकलांगता	(8)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
तृतीय श्रेणी	स्टाफ नर्स	10	10	1	-	-	1	-	-	1	दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित विकलांगता अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा में। हाथों की विकलांगता को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थि बाधित विकलांगता स्वीकार्य जिसकी अधिकतम सीमा 60 प्रतिशत स्वीकार्य है।	

(शासकीय स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल)

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या						योग (6+7+8+9+10)	रिमांक
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोक मोटर डिसेबिलिटी	ऑटिज्म, दिव्यांगता, स्पेलिफिक डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी	(क 6.7.8 एवं 9 के तहत व्यक्तियों की बहुविकलांगता	(8)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
तृतीय श्रेणी	स्टाफ नर्स	9	9	1	-	-	1	-	-	1	दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित विकलांगता अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा में। हाथों की विकलांगता को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थि बाधित विकलांगता स्वीकार्य जिसकी अधिकतम सीमा 60 प्रतिशत स्वीकार्य है।	
चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	10	10	1	-	1	-	-	-	1		
	पुरुष पारिचारक / वार्डवाय	9	9	1	-	1	-	-	-	1		

(शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय भोपाल)

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	नि:शक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या						योग (6+7+8+9+10)	रिमांक
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोको मोटर डिसेबिलिटी लिटी	ऑटिज्म, दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी	(क 6.7.8 एवं 9 के तहत व्यक्तियों की बहुविकलांगता	(8)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
तृतीय श्रेणी	स्टाफ नर्स	15	15	1	-	-	1	-	-	1	दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित विकलांगता अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा में। हाथों की विकलांगता को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थि बाधित विकलांगता स्वीकार्य जिसकी अधिकतम सीमा 60 प्रतिशत स्वीकार्य है।	
चतुर्थ श्रेणी	वार्डवाय ओ.पी.डी. / आई.पी.डी अटेंडेंट मृत्य	15 9	15 9	1 1	-	-	1	-	-	1		
		9	9	1	1	-	-	-	-	1		